भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 536
दिनांक 25 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी

536. श्री बी.पार्थसारधी रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या यह सच है कि अधिक चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग) दूरस्थ /जनजातीय क्षेत्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में डाक्टरों और अन्य मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और बाद में एमबीबीएस सीटों में वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों में 82% की वृद्धि हुई जो 2013-14 में 387 से बढ़कर 2023-24 में 704 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 110% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर अब 1,07,948 हो गई है, पीजी सीटों में भी 117% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 31,185 से बढ़कर अब 67,802 हो गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जून, 2022 तक राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की 80% उपलब्धता मानते हुए, देश में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:834 है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में समान, किफायती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत राज्यों को हार्ड एरिया भत्ता, निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आवास और परिवहन सुविधाएं

प्रदान करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करने आदि के लिए छूट प्रदान की जाती है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए मानव संसाधनों को नियुक्त किया जा सके।

राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में डाक्टरों और विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए लचीले मानदंड अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इनमें विशेषज्ञ सेवाओं में 'संविदा द्वारा लेना' और 'संविदा द्वारा बाहर करना' और एनएचएम के तहत सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों में सेवा प्रदायगी के लिए सरकारी प्रणाली के बाहर विशेषज्ञों को नियुक्त करना शामिल है।

जिला/ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बढ़ाने और देश में विशेषज्ञों की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार ने जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम अनुमोदित किया है जिसमें मेडिकल कॉलेजों के दूसरे/तीसरे वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों को तीन महीने की अवधि के लिए जिला अस्पतालों में तैनात किया जाना है।

*****